



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 68592

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 10909 सन् 2026**

संजीत कुमार जायसवाल

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- नीरज सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:-शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या -69**

**माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा**

1 श्री नीरज सिंह, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से तथा श्री बी.पी. मौर्या, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी की ओर से सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 20 सन् 2025, धारा 3/4/5/6/7/9 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, थाना शाहपुर, जनपद गोरखपुर के अधीन विचाराधीन मुकदमे में उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ संस्थित किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया है तथा वह 27.1.2026 से जेल में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और उसका नाम अन्वेषण के दौरान प्रकट हुआ है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त अनुराग सिंह एवं अनिरुद्ध ओझा को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 9851 सन् 2025 एवं 11417 सन् 2025 में क्रमशः दिनांक 9.4.2025 एवं 21.5.2025 के आदेशों द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक के दो मामलों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का आपराधिक इतिहास है, जो उसके द्वारा विधिवत् स्पष्ट किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक यह वचन देता है कि यदि जमानत प्रदान की जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था और उसका नाम केवल अन्वेषण के दौरान प्रकट हुआ। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दो सह-अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात् अनुराग सिंह एवं अनिरुद्ध ओझा को, इस न्यायालय की समक्ष पीठ द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है और प्रस्तुत आवेदक का मामला भी उसी के समान है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने अपने दो मामलों के आपराधिक इतिहास को विधिवत् स्पष्ट किया है, जो प्रस्तुत जमानत आवेदन के गुण-दोष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता।

6. तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से परिलक्षित प्रकृति एवं साक्ष्य पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक **संजीत कुमार जायसवाल** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए रु. 50,000/- के व्यक्तिगत मुचलके तथा उतनी ही राशि की दो जमानतदारों पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्य प्रकट करने से विरत किया जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों को दबाव में नहीं लाएगा / उन्हें आतंकित नहीं करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) प्रकरण के उद्घाटन, (ii) आरोप विरचन तथा

(iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान अभिलिखित करने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिशः उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से प्रकरण के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय, इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

31 मार्च, 2026

के.जे.